(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्तियां						
1.01.	राज्य	0049	7315.87	6100.06	5288.44	5494.94
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	41.84	367.40	365.40	365.40
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	38366.94	25049.59	20910.62	20350.89
1.03.01.	घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-32150.57	-16355.00	-14517.14	-13300.00
निवल-ब्याज प्राप्तियां			*13574.08*	*15162.05*	*12047.32*	*12911.23*
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	46498.67	52494.71	45124.18	53159.88
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश, अधिशेष लाभ	0050	44861.80	54817.25	74140.37	82911.56
जोड़-लाभांश और लाभ			*91360.47*	*107311.96*	*119264.55*	*136071.44*
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			**104934.55**	**122474.01**	**131311.87**	**148982.67**
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ	0046	282.00	600.00	300.00	300.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	178.13	121.20	120.50	125.50
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			*460.13*	*721.20*	*420.50*	*425.50*
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			**460.13**	**721.20**	**420.50**	**425.50**
सामान्य सेवाएं						
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	84.03	136.50	96.50	103.50
4.01.02.	पुलिस	0055	7495.64	7611.60	7761.00	10366.10
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	54.57	...	0.05	0.05
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	38.97	38.80	35.25	29.54
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	333.85	76.65	273.03	373.03
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6203.79	7432.31	6377.79	7557.68
जोड़-प्रशासनिक सेवाएं			*14210.85*	*15295.86*	*14543.62*	*18429.90*
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1760.70	2824.53	2709.12	2712.93
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			*1760.70*	*1824.53*	*1709.12*	*1712.93*
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	19355.64	19211.20	18375.71	19981.51
4.03.02.	घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-17761.78	-17625.00	-16775.00	-18450.00
निवल-विविध सामान्य सेवाएं			*1593.86*	*1586.20*	*1600.71*	*1531.51*
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	2949.67	2871.09	2927.09	2879.76
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-2949.67	-2871.09	-2927.09	-2879.76
निवल			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	629.82	650.00	750.00	500.00
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-629.82	-650.00	-750.00	-500.00
निवल			...	...	...	...

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1025.60	1300.00	1277.66	1000.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1025.60	-1300.00	-1277.66	-1000.00
निवल			...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	1852.02	1579.70	2194.44	2581.19
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1852.02	-1579.70	-2194.44	-2581.19
निवल			...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	279.24	150.00	550.00	400.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-279.24	-150.00	-550.00	-400.00
निवल			...	...	...	...
निवल-रक्षा सेवाएं			...	...	...	...
निवल-सामान्य सेवाएं			*17565.41*	*18706.59*	*17853.45*	*21674.34*
जोड़-सामान्य सेवाएं			**17565.41**	**18706.59**	**17853.45**	**21674.34**
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5.	***सामाजिक सेवाएं***					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	273.49	238.82	280.58	285.58
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	540.23	597.78	606.21	606.65
5.03.	परिवार कल्याण	0211	14.43	20.10	15.08	15.08
5.04.	आवास	0216	379.28	341.38	283.60	279.59
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.01	0.01	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	70.79	44.04	50.12	59.35
5.07.	प्रसारण	0221	1548.29	1997.06	1420.86	2766.67
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	34.89	25.59	33.55	34.08
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.67	5610.57	0.86	0.36
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	146.06	...	100.00	...
5.10.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0250	-64.43	...	-100.00	...
निवल-सामाजिक सेवाएं			*2943.70*	*8875.35*	*2690.87*	*4047.37*
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			**2943.70**	**8875.35**	**2690.87**	**4047.37**
आर्थिक सेवाएं						
6.	***आर्थिक सेवाएं***					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	576.80	424.05	590.55	614.55
6.01.02.	पशु पालन	0403	20.59	19.25	19.60	20.97
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	435.50	480.35	390.54	410.80
6.01.03.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग दिल्ली दुग्ध स्कीम की प्राप्तियां	0404	-435.35	-480.00	-390.27	-410.40
निवल			*0.15*	*0.35*	*0.27*	*0.40*
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.94	4.40	3.95	4.00
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	204.43	33.00	33.00	38.00
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-192.66	-8.00	-8.00	-8.00
निवल			*11.77*	*25.00*	*25.00*	*30.00*
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	1171.00	12.02	102.53	6.91
6.01.06.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0408	...	...	-95.62	...
निवल			*1171.00*	*12.02*	*6.91*	*6.91*
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	0.01	0.02	0.02
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.75	20.50	23.00	23.55
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			*1806.00*	*505.58*	*669.30*	*700.40*
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	34.44	40.00	40.00	42.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	1.77	1.20	1.60	1.80

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			*36.21*	*41.20*	*41.60*	*43.80*
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	1975.99	5893.78	3347.77	3681.09
6.03.01.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां – ईंधन सूची	0801	-1152.70	-2158.83	-1859.02	-2373.06
निवल			*823.29*	*3734.95*	*1488.75*	*1308.03*
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	10878.80	9877.24	16044.55	16930.27
6.03.03.	कोयला और लिग्नाईट	0803	4.45	...	3197.85	3197.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	48.23	0.06	0.12	0.12
निवल-ऊर्जा			*11754.77*	*13612.25*	*20731.27*	*21436.27*
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	45.33	37.26	30.26	23.18
6.04.02.	उद्योग	0852	1861.48	2615.45	3025.77	2557.87
6.04.02.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग –ईंधन निर्माण सुविधाओं की प्राप्तियां	0852	-1205.93	-2417.80	-1735.36	-2286.29
6.04.02.02.	घटाइए – इस क्षेत्र की अन्य प्राप्तियां	0852	-255.00	...	-983.18	...
निवल			*400.55*	*197.65*	*307.23*	*271.58*
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	1215.93	24.59	298.93	377.29
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	182.65	150.00	150.00	150.00
6.04.04.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग – अफीम और क्षरोद फैक्टरी की प्राप्तियां	0875	-182.65	-150.00	-150.00	-150.00
निवल			...	...	...	...
निवल-उद्योग और खनिज			*1661.81*	*259.50*	*636.42*	*672.05*
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	325.86	325.43	325.43	320.00
6.05.01.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग दीप स्तंभ और लाइटशिप की प्राप्तियां	1051	-319.05	-320.00	-320.00	-320.00
निवल			*6.81*	*5.43*	*5.43*	...
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	114.62	122.82	122.82	121.29
6.05.03.	नागर विमानन	1053	67.52	105.00	105.00	115.51
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	9064.07	10291.00	19542.60	20339.64
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	19.31	...	...	...
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	12832.76	16956.11	18000.44	19203.29
6.05.06.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग – डाक की प्राप्तियां	1201	-12832.76	-16956.11	-18000.44	-19203.29
निवल			...	...	...	...
निवल-परिवहन			*9272.33*	*10524.25*	*19775.85*	*20576.44*
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	32065.90	48661.42	39245.00	41519.76
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	84.09	91.69	116.78	99.06
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1027.28	1099.08	1187.09	1431.42
जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			*1111.37*	*1190.77*	*1303.87*	*1530.48*
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	230.13	157.58	252.90	252.90
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3420.96	14619.91	6987.37	7619.94
6.08.03.	पर्यटन	1452	9.22	10.00	10.00	10.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.04	0.12	0.15
जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं			*3660.35*	*14787.53*	*7250.39*	*7882.99*
निवल-आर्थिक सेवाएं			*61368.74*	*89582.50*	*89653.70*	*94362.19*

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
7.	*रेल राजस्व*					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	204.33	250.00	500.00	260.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्तियां	1001	-204.33	-250.00	-500.00	-260.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	176718.83	198702.42	194774.00	214590.13
7.02.01.	घटाइए प्राप्तियां	1002	-176718.83	-198702.42	-194774.00	-214590.13
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2006.48	2137.58	1940.00	2084.87
7.03.01.	घटाइए प्राप्तियां	1003	-2006.48	-2137.58	-1940.00	-2084.87
निवल- रेल राजस्व			...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं			**61368.74**	**89582.50**	**89653.70**	**94362.19**
सहायता-अनुदान तथा अंशदान						
8.	***सहायता अनुदान और अंशदान***					
8.01.	विदेशी अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	5.99	16.00	12.00	14.00
8.01.01.02.	कृषि हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि	1605	0.12	3.00	1.00	1.00
8.01.01.03.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	86.31	93.00	77.00	82.00
8.01.01.04.	यूरोपीय यूनियन	1605	189.33	...	...	...
जोड़-बहुपक्षीय			*281.75*	*112.00*	*90.00*	*97.00*
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	जर्मनी	1605	21.18	22.00	11.00	10.00
8.01.02.02.	जापान	1605	...	42.00	33.00	33.00
जोड़-द्विपक्षीय			*21.18*	*64.00*	*44.00*	*43.00*
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विवक पर्यावरण निधि	1605	1096.85	1200.00	830.00	500.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	36.78	11.00	5.00	10.00
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय			*1133.63*	*1211.00*	*835.00*	*510.00*
जोड़-विदेश अनुदान सहायता			*1436.56*	*1387.00*	*969.00*	*650.00*
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	2145.64	1280.00	301.00	356.00
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान			*3582.20*	*2667.00*	*1270.00*	*1006.00*
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान			**3582.20**	**2667.00**	**1270.00**	**1006.00**
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व						
9.	***संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व***	1710	1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व			**1889.62**	**2062.10**	**2076.00**	**2149.00**
कुल जोड़			*192744.35*	*245088.75*	*245276.39*	*272647.07*

उपर्युक्त विवरण में 2019-20 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं, जैसे परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ के रूप में लाभांश और लाभ, ब्याज, शुल्क, शास्ति विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्तियां।

1.1. **राज्य :** राज्यों को जारी ऋण पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर ब्याज शामिल है –

(क) गैर योजना स्कीम के अंतर्गत (बाढ़ नियंत्रण) पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को विभिन्न समय पर वितरित ऋण

(ख) वित्त मंत्रालय द्वार राज्यों को ब्याज की विभिन्न दरों, अब ब्याज की दरें एक समान कर दी गई हैं, पर वितरित ऋण

(ग) 20 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ राज्य योजना स्कीमों की सहायता के लिए वितरित ऋण

(घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वितरित ऋण। इसमें बड़े ऋण अन्य देशों से आए लोगों का पुनर्स्थापन और संसाधनों में अंतर को कम करने के लिए ऋण इत्यादि शामिल है।

1.2. **संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) :** संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले) को ऋण पर ब्याज।

1.3. **अन्य ब्याज प्राप्तियां**: "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं।

2. **लाभांश और लाभ**: इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.2. **अन्य राजकोषीय सेवाएं**: ये प्राप्तियां मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।

4.01.01.**लोक सेवा आयोग** : "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।

4.01.02. **पुलिस** : "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03. **पूर्ति तथा निपटान** : "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04. **स्टेशनरी तथा मुद्रण** : "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.06. **अन्य प्रशासनिक सेवाएं** : "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.02. **घटाइए वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां कैंटीन स्टोर्स विभाग**: वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति**: "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

5.02. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य**: "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03. **परिवार कल्याण**: "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यत: सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।

5.04. **आवासन** : "आवासन" प्राप्तियां मुख्यत: सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

5.06. **सूचना और प्रचार** : "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में रोजगार समाचार एवं अन्य प्रकाशनों, फिल्म प्रभाग और ब्यूरो आफ आउटरीच एवं कम्युनिकेशन से प्राप्तियां शामिल हैं।

5.07. **प्रसारण :** डीटीएच आपरेटरों, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) से प्राप्तियां तथा अन्य प्राप्तियां।

5.08. **श्रम और रोजगार**: "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यत: श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण**: "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्तया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01. **कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप**: इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02. **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**: इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यत: केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. **ऊर्जा**: इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.01. विद्युत : विद्युत शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियों का रिकार्ड रखा जाता है।

6.03.02. पेट्रोलियम : पेट्रोलियम शीर्ष के अंतर्गत अनुमानों में आफशोर कच्चा तेल और गैस उत्पादन पर रायल्टी से प्राप्तियां और किसी क्षेत्र विशेष में तेल एवं गैस के निकासी के विशिष्ट अधिकार से लाइसेंस शुल्क प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) कच्चे तेल पर रॉयल्टी आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 समय-समय पर संशोधन द्वारा विनियमित की जाती है। रॉयल्टी पीएनजी नियमावली, 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी राज्य सरकार को भू-तटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाकों के लिए और केंद्र सरकार को अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाकों के लिए देय है। इन सांविधियों और संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल हेड पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य का 20% से अधिक नहीं होगी।

(ख) **लाभ पेट्रोलियम :** लाभ पेट्रोलियम का तात्पर्य संविदागत क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस के मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण तत्संबंधी पीएससी के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को नामित ब्लाकों पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है।

(ग) **पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क :** (i) पीईएल शुल्क का भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में तेल तथा गैस की विशिष्ट खोज करने का अधिकार देने वाली सरकार से विचार करके किया जाने वाला भुगतान है। लाइसेंस शुल्क आमतौर पर लाइसेंस के क्षेत्र तथा अवधि से संबंधित होता है तथा इसका भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार, अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। (ii) आफशोर फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि आनशोर फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को जाता है।

(घ) **उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) :** पीएलपी वह भुगतान है जो कोल बेड मीथेन ब्लाकों में संबंधित संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर हासिल करने के बाद भारत सरकार को करना होता है।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योगग़ शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग : उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यत: परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग : गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02. पोत परिवहन : पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04. सड़क और पुल : सड़क और पुल शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: 'अन्य संचार सेवाएं' के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से टेलीकॉम आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियां संबंधित है। टेलीकाम विभाग, इसके द्वारा दिए गए लाइसेंस के लिए विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। लाइसेंस शुल्क, पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं पर पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क प्रभारों, रोमिंग प्रभार जैसे अनुमेय कटौती और कंपनी के लेखापरीक्षित लेखाओं में परिलक्षित इसके कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केन्द्रीय सरकार पर बिक्रीकर/सेवाकर के बाद समायोजित सकल राजस्व के 8 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

लाइसेंसशुदा टेलीकॉम नेटवर्कों के लिए कैप्टिव उपयोग और कैप्टिव मोबाइल रेडियो टंकिंग सेवा लाइसेंस के लिए नियत दरों पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। यह टर्मिनलों की संख्या और/या नेटवर्कों की पूंजीगत लागत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, नए ऑपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क का भी संग्रहण किया जाता है।

सेवाओं के मुख्य श्रेणी में शामिल है : (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (iv) यूनीफाइड लाइसेंस (v) इंटरनेश्नल लॉग डिस्टेंस (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस, (vii) इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुन: बिक्री।

लाइसेंस शुल्क का संग्रहण टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से समयोजित सकर राजस्व के प्रतिशतता शेयर के आधार पर किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का घटक शामिल होता है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क, देश में टेलीकॉम सेवा क्षेत्र के प्रशुल्क और विकास की दर पर निर्भर करता है।

यह विभाग, विभिन्न संस्थाओं के बेतार उपकरण रखने और रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए भी लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। सेवा प्रदाताओं से लिए गए प्रभार को सामान्यत: स्पेक्ट्रम प्रभार कहा जाता है और उनकी परिकलन या तो उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किया जाता है जो उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीएसटी लाइसेंस) के लिए दिए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा या समान दरों पर या सूत्र के आधार पर निर्भर करता है।

विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए प्रभार टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वीएसटी आदि) से स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु लगाया जाता है और इनका परिकलन उनके नेटवर्क के लिए दी गई मात्रा के अनुसार उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां है ।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व: प्राप्तियों में मुख्यत: (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अत: कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान और अंशदान: ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व: (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यत: प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 11 में देखा जा सकता है।